ग्राम पंचायत धमून, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्धारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत धमून, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्धारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राम दयाल	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्री बलदेव राज ठाकुर	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुनीता ठाकुर	2015 से 09/2016 तक
2	श्रीमति प्रिंयका गर्ग	09.11.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत धमून के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5 (ख)	दिनांक 31.03.2017 को पंचायत निधि एवं GIA की रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंतिम शेष में अन्तर	2.67
2	5 (ग)	दिनांक 31.03.2017 को Integrated Water Shed Development Project की रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंतिम शेष में अन्तर	0.35
3	6	प्राप्त आय को संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाए बिना सीधे तौर पर व्यय किए जाने बारे।	0.05
4	8	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों,Mustroll भुगतान हेतु की राशि का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना	8.10
5	9	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय के स्त्रोत, उद्देश्य इत्यादि के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध न होना	2.95
6	11	दिनांक 31.03.2017 तक अनुदान का उपयोग न किया जाना।	41.72

7	12	दिनांक 31.03.2017 तक अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।	0.20
8	13	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनियमित व्यय किया जाना।	3.46
9	14	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	4.77
10	15	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडार रजिस्टरों में प्रविष्टि न किया जाना	3.81

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत धमून, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2017 से 12.07.2017 के दौरान ग्राम पंचायत धमून में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2014-15	11/2014	11/2014
2015-16	09/2015	07/2015
2016-17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत धमून, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 483/2017 दिनांक 12.07.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, धमून से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव,ग्राम पंचायत धमून द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों का निर्माण नहीं किया गया था। खाता बही नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा

सका। ग्राम पंचायत के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट– 1"** पर दिया गया है।

5 (क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत धमून की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्धारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) दिनांक 31.03.2017 को पंचायत निधि एवं GIA की रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंतिम शेष में ₹2.67 लाख का अन्तर

पंचायत निधि एवं GIA की रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के दिनांक 31.03.2017 को दर्शाये गए अंतिम शेष की अंकेक्षण के दौरान जाँच करने पर पाया गया कि दोनों के बीच **₹267107/-** का अन्तर था। विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: इस अन्तर बारे आवश्यक कार्यवाही की जाये और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 480/2017 दिनांक 11.07.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 015 दिनांक 13.07.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत धमून द्धारा सूचित किया गया कि यह अंतर उनके कार्य ग्रहण करने से पूर्व से हैं इस बारे में आवश्यक छानबीन के उपरांत कृत कार्यवाही से अवगत करवाया जायेगा।

अन्तर का विवरण

Balance as per Cash Book (General Cash Book)	**4934506.00**
Cash in Hand as on 31.03.2017 as per General Cash Book P.No.105	417.00
Bank Account No. 5874 (General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate)	5020068.00
Bank Account No. 5385 (General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate)	176791.00
Bank Account No. 7242 (General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate)	4337.00
Total	**5201613.00**
Difference between Cash Book and Bank Accounts	**267107.00**

(ग) दिनांक 31.03.2017 को Integrated Water Shed Development Project की रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंतिम शेष में ₹0.35 लाख का अन्तर

Integrated Water Shed Development Project की रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के दिनांक 31.03.2017 को दर्शाये गए अंतिम शेष की अंकेक्षण के दौरान जाँच करने पर पाया गया कि दोनों के बीच **₹35472/-** का अन्तर था। जिसका विवरण निम्न दिया गया हैं। अत: इस अन्तर बारे आवश्यक कार्यवाही की जाये और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 481/2017 दिनांक 11.07.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 015 दिनांक 13.07.2015 से सचिव, ग्राम पंचायत धमून

द्धारा सूचित किया गया कि यह अंतर उनके कार्य ग्रहण करने से पूर्व से हैं इस बारे में आवश्यक छानबीन के उपरांत कृत कार्यवाही से अवगत करवाया जायेगा।

अन्तर का विवरण

Integrated Water Shed Development Project

Balance As per Cash Book as on 31.03.2017	167980.00
Bank Account No. 8096 (Integrated Water Shed Development Project) (Balance as per Bank Certificate)	30979.00
Bank Account No. 5385 (Integrated Water Shed Development Project) (Balance as per Bank Certificate)	101529.00
Total	**132508.00**
Difference between Cash Book and Bank Accounts	35472.00

6. प्राप्त ₹0.05 लाख की आय को संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाए बिना सीधे तौर पर व्यय करना

नियमानुसार सर्वप्रथम प्राप्त आय को पंचायत के बैंक खाते में जमा किया जाना और उसके उपरांत विभिन्न व्ययों हेतु उस बैंक खाते से राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्य दिवसों को **₹4930/-** की आय विभिन्न आय शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त की गई थी, इस प्राप्त **₹4930/-** को पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर विभिन्न व्ययों का भुगतान करने हेतु प्रयोग किया गया था। ऐसे सभी व्ययों का विवरण निम्न दिया गया हैं। आय को सीधे तौर पर व्यय करना अपने आप में एक वित्तीय अनियमितता हैं। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही भविष्य में प्राप्त आय को सर्वप्रथम पंचायत के बैंक खाते में जमा करके उसके उपरांत भुगतान हेतु प्रयोग में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

Cash Book Page No.	**Detail of Cash Collected**			**Detail of Cash Expenditure out of Cash Receipt**		
	Date of Receipt	**Type of Receipt**	**Cash Collected**	**Date of Expenditure**	**Type of Expenditure**	**Amount of Expenditure**
58	07.04.2016	House Tax	1205	07.04.2016	Refreshment	1205
61	18.05.2016	Marriage Registration	110	18.05.2016	Stationery	110
81	30.09.2016	House Tax	3615	30.09.2016	Telephone Bill & Stationery	3615
			4930			**4930**

7. निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्धारा **"परिशिष्ट -2** में दिये गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। केवल imprest की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है तथा अन्य सभी प्राप्तियों को बैंक में जमा किया जाना चाहिए अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों,Mustroll के भुगतान हेतु ₹8.10 लाख का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार 1000/- से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्धारा संबन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** की पड़ताल करने पर पाया गया कि **₹809720/-** के व्यय वाऊचरों/Mustrolls का भुगतान बैंक चैक द्धारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों एवं सचिव को किया गया दर्शाया गया था। बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों के नाम जारी किए गए थे, ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 3** पर दिया गया हैं। बैंक चैक को संबन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों के नाम जारी करने से भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अत: नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्धारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों के नाम जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 482/2017 दिनांक 11.07.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 014 दिनांक 12.07.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धमून ने सूचित किया गया कि ज़्यादातर भुगतान मजदूरो को किए गए थे, जिनके बैंक खाते नहीं थे। भविष्य में सभी भुगतान संबन्धित व्यक्तियों को ही किए जायेगे।

9 रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹2.95 लाख के स्रोत्र, उद्देश्य इत्यादि के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध न होना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्धारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्धारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 32 दिनांक 19.09.2015 को ₹295500/- अज्ञात प्राप्ति लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई थी। पड़ताल करने पर पाया गया कि इस प्राप्ति के बदले कोई रसीद इत्यादि भी जारी नहीं की गई थी। अंकेक्षण के दौरान यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त राशि किस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त कि गई थी तथा उक्त राशि का व्यय किस शीर्ष के अन्तर्गत किया जाना था। अत: इस संदर्भ में विभागीय तौर पर इस राशि की प्राप्ति और उद्देश्य की छानबीन की जाए। साथ ही प्राप्त आय के बदले में संबन्धित संस्था को रसीद जारी किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाये।

10. बजट प्राक्कलन तैयार न करना

फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि

के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्धारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

11. अनुदान की ₹41.72 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्धारा अनुदानों और स्व: स्त्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक कुल **₹4171980/-** उपयोग हेतु शेष थे। जिसका विवरण **परिशिष्ट-4** पर दिया गया हैं। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

12. अस्थाई अग्रिमों ₹0.20 लाख का समायोजन न करना

व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरंत बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन **परिशिष्ट-5** में दिये गए विवरणानुसार अस्थाई अग्रिमों के समायोजन हेतु उचित कार्यवाई न करने के कारण दिनांक 31.03.2017 तक कुल ₹20000/- के अस्थाई अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष थे। इस प्रकार अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

13. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹3.46 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्धारा **"परिशिष्ट-6"** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर **₹346478/-** का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त किए गए कार्यों को माप पुस्तिका में भी दर्ज नहीं किया गया है जोकि संशय पैदा करता है कि वास्तव में परिशिष्ट में दर्शाये गए कार्य किए गए है अथवा नहीं? जिसकी पूर्ण जाँच कि जानी आपेक्षित है। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

14. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.77 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्धारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-7"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्धारा **₹476912/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही

किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. क्रय किए गए ₹3.81 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडार रजिस्टरों में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्धारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान क्रय की गई **₹381022/-** की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट-8"** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप अंकेक्षण के दौरान खरीदी गई सामग्री तथा उसकी खपत कि जाँच नहीं की जा सकी। सामग्री की खरीद से संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि तथा खपत से संबन्धित माप पुस्तिका में प्रविष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

16. मानदेय के रूप में ₹975/- का अधिक भुगतान ।

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा, यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा । अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय का ₹975/- का अधिक भुगतान किया गया था। (विवरण निम्न दिया गया हैं) । अत: बिना सभा में उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान की राशि की वसूली संबन्धित सदस्यों से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Excess payment of Honorarium to Panchyat Members.

Name of Member	Date of Meeting for which payment was made	Amount Paid	Remarks
श्री राम प्रताप	29.09.2014	175.00	Member was absent as per Minutes Book
श्रीमति कुसुम	16.04.2015	200.00	Member was absent as per Minutes Book
श्री राम प्रताप	30.04.2015	200.00	Member was absent as per Minutes Book
श्रीमति कुसुम	30.04.2015	200.00	Member was absent as per Minutes Book
श्री ईश्वर	30.05.2015	200.00	Member was absent as per Minutes Book
	Total	**975.00**	

17. विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्धारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव

किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्धारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

18. प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्धारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19. विविध अनियमितताए

(i) मनरेगा से संबन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्धारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्धारा सीधे तौर पर किया जाता हैं। परन्तु सभी भुगतान बिल वाउचर पंचायत स्तर पर ही तैयार किए जाते है तथा उनका अभिलेख भी पंचायत स्तर पर ही रखा जाता है। इसलिए रोकड़ वही का लिखा जाना अनिवार्य है। अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

(ii) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्धारा अपनी समस्त आय व्यय का

लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(**iii)** हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्धारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(**iv)** ग्राम पंचायत द्धारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत धमून द्धारा नहीं बनाई गई थी। अत: नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(**v)** ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पढ़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत धमून द्धारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

(vii) अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय नियमानुसार आयकर, बिक्री कर,लेबर सैस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की गई थी। अत: इस सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

20. **लघु आपति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा1.4.2014 से 31.3.2017 अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

21. **निष्कर्ष:-** लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 60/2017–खण्ड–1–6481–6484 दिनाँक,30.10.17
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत धमून, विकास खण्ड मशोबरा, तहसील शिमला, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, तहसील शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881